

SSC FOUNDATION



सम्यान 1.0 बैच



CONSTITUTION

FUNDAMENTAL RIGHTS

(मौलिक अधिकार)



समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE: 12 PM

BY-PAWAN SIR

WELCOME TO



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by Prince Edutech Private Limited

Disclaimer

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by **airGurukul Institute for Career Growth**, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for **educational and informational purposes only**. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, **airGurukul** does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to **verify details from official sources before making any decisions**.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are **solely for educational illustration and fair-use academic discussion**. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. **airGurukul** shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. **Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited**.

मौलिक अधिकार / Fundamental Rights

Fundamental Rights are those basic rights guaranteed by the Constitution to every citizen of India, which are enforceable by the courts. They ensure the overall development, freedom, and equality of individuals, and place limitations on the State so that it cannot encroach upon the liberty of citizens.

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त (दिए गए) हैं और जिनकी सुरक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं तथा राज्य को इस सीमा में बाँधते हैं कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न कर सके।

ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन

Magna Carta (1215)- KING JOHN

Bill of Rights (1689) और

Rule of Law जैसे सिद्धांतों ने अधिकारों की नींव रखी

French Revolution के दौरान **Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)** आया।

इसमें **Liberty, Equality, Fraternity** (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) के सिद्धांत घोषित किए गए।

□ यह भी मौलिक अधिकारों की प्रेरणा का बड़ा स्रोत रहा।

Bill of Rights (1791) → यह पहला लिखित संविधान था जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया।

• इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता (**Freedom of Speech, Religion, Press, Assembly**),

• सुरक्षा (**Protection against arbitrary arrest**), और न्याय (Due Process of Law) जैसे अधिकार दिए गए।

□ इसलिए कहा जाता है कि “Fundamental Rights का जन्म अमेरिका में हुआ।”

भारत में मौलिक अधिकारों की माँग

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress – 1895)

कांग्रेस ने “**Constitution of India Bill, 1895**” / स्वराज्य विधेयक, 1895 जारी किया।
इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों (**Fundamental Rights**) की माँग पहली बार रखी गई।

Commonwealth of India Bill, 1925-Annie Besant ने भारत के लिए **Dominion Status** और **Fundamental Rights** की माँग को औपचारिक रूप से दुनिया के सामने रखा।

नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report, 1928)

मोटिलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार हुई।
इसमें मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया, जैसे –

वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

धर्म की स्वतंत्रता

समानता का अधिकार

संघ बनाने की स्वतंत्रता

यह भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे ठोस माँग मानी जाती है।

करांची अधिवेशन (Karachi Session of Congress, 1931)

अध्यक्षता – पंडित जवाहरलाल नेहरू

यहाँ “Fundamental Rights and Economic Programme” पारित हुआ।

इसमें नागरिकों और श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता देने की माँग की गई।

सप्रू समिति (Sapru Committee Report, 1945) ने भी मौलिक अधिकारों की सिफारिश की।
संविधान सभा ने इन माँगों को स्वीकार किया और भाग-3 (Part III, Articles 12–35) में मौलिक अधिकारों को शामिल किया।

मौलिक अधिकार समिति और उप-समिति (Committee & Sub-Committee on Fundamental Rights)

Committee- Sardar Vallabh Bhai Patel

Sub-Committee – J.B Kriplani

Part III of the Indian Constitution (Fundamental Rights / मूल अधिकार)

- ❑ Articles (अनुच्छेद): 12 से 35 तक
- ❑ Nature (स्वरूप): Justiciable Rights (न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले अधिकार)
- ❑ Objective (उद्देश्य): नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना।

मौलिक अधिकारों का स्रोत (Sources of Fundamental Rights in Indian Constitution)

CONSTITUTION OF USA-1789 (USA – Bill of Rights, 1791)

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech & Expression)

सभा और संगठन की स्वतंत्रता (Freedom of Assembly & Association)

धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religion)

संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार (Fundamental Rights in Original Constitution, 1950)

7 प्रकार के मूल अधिकार

- | | |
|---|------------------------|
| •समानता का अधिकार (Right to Equality) – | अनुच्छेद 14-18 |
| •स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – | अनुच्छेद 19-22 |
| •शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) – | अनुच्छेद 23-24 |
| •धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) – | अनुच्छेद 25-28 |
| •सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) – | अनुच्छेद 29-30 |
| •संपत्ति का अधिकार (Right to Property) – | अनुच्छेद 19(1)(f) & 31 |
| •संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – | अनुच्छेद 32 |

अब केवल 6 मौलिक अधिकार (6 Fundamental Rights) शेष हैं।

संपत्ति का अधिकार (Right to Property) – अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31

Right to acquire, hold, and dispose of property.

संपत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने का अधिकार।

44वें संशोधन (1978) द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब यह कानूनी अधिकार (Legal Right) – अनुच्छेद 300 A है।

Article 12 of the Indian Constitution

- ❑ Part III (Fundamental Rights) की शुरुआत Article 12 से होती है।
- ❑ यह बताता है कि “State (राज्य)” शब्द का मतलब क्या होगा, जब भी मूल अधिकारों (Fundamental Rights) की बात होगी।

According to Article 12, the term ‘State’ includes / “राज्य” (State) में शामिल हैं:

Government & Parliament of India → (Union Government – Executive + Legislature)
भारत सरकार और संसद (केंद्र सरकार की कार्यपालिका व विधायिका)

Government & Legislature of each State → (State Government – Executive + Legislature)
प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल (राज्य सरकार की कार्यपालिका व विधायिका)

All local authorities → (Municipalities, Panchayats, District Boards, etc.)
सभी स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत इत्यादि)

Other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.
अन्य सभी प्राधिकरण जो भारत की सीमा के अंदर हों या भारत सरकार के नियंत्रण में हों।

यदि इन संस्थाओं द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक
High Court (Art. 226) या Supreme Court (Art. 32) में जा सकते हैं।

अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

(Article 13 – Laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights)

अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि:

संविधान से पहले के कानून (Pre-Constitution Laws):

संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रभावी थे, यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो वे उस सीमा तक शून्य (Void) माने जाएंगे।

भविष्य के कानून (Future Laws):

राज्य (State) ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या सीमित करता हो।

यदि ऐसा कानून बनाया गया तो वह कानून उस सीमा तक अमान्य (Invalid) होगा।

कानून की परिभाषा (अनुच्छेद 13(3)):

यहाँ कानून का मतलब केवल अधिनियम (Act) नहीं है, बल्कि इसमें अध्यादेश (Ordinance), आदेश (Order), उपविधि (By-law), नियम (Rule), विनियम (Regulation), अधिसूचना (Notification), प्रथा या प्रचलन (Custom or Usage) भी शामिल हैं।

न्यायिक पुनर्वलोकन (Judicial Review):

अनुच्छेद 13 के कारण भारतीय न्यायपालिका को Judicial Review (न्यायिक पुनर्वलोकन) की शक्ति मिली। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर सकते हैं यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Article 13 provides that:

Pre-Constitution Laws:

All laws in force in India before the commencement of the Constitution (i.e., before 26 January 1950), which are inconsistent with the provisions of Fundamental Rights, shall be void to the extent of such inconsistency.

Future Laws:

The State shall not make any law which takes away or abridges the Fundamental Rights, and if it makes such a law, it shall be void to the extent of the violation.

Definition of Law (Article 13(3)):

The term *law* includes ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law.

Judicial Review:

Article 13 gives the power of Judicial Review to the courts.

Courts (Supreme Court & High Courts) can declare any law unconstitutional if it violates Fundamental Rights.

1. Right to Equality (समानता का अधिकार) – Articles 14 to 18

Article 14 – Equality before law & Equal protection of laws

(कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण)।

Article 15 – Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth

(धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध)।

Article 16 – Equality of opportunity in public employment

(सरकारी नौकरियों में समान अवसर)।

Article 17 – Abolition of untouchability

(अस्पृश्यता का अंत)।

Article 18 – Abolition of titles

(उपाधियों का अंत – “Sir”, “Rai Bahadur” आदि)।

नियोजन में समान अवसर

Two Main Concepts of Article 14

1. कानून के समक्ष समानता

Equality Before Law

सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। Same law applies to everyone.

किसी को विशेष कानूनी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। No special legal privilege for anyone.

यह अवधारणा ब्रिटेन (Britain) से ली गई है।

2. कानूनों का समान संरक्षण

Equal Protection of Laws

समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। People in similar conditions should be treated equally.

अलग परिस्थितियों वाले लोगों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं।

यह अवधारणा अमेरिका (USA) से ली गई है।

Important Doctrines Related to Article 14

1. Rule of Law- सभी कानून के अधीन हैं।
2. Reasonable Classification- उचित आधार पर वर्गीकरण मान्य है।
3. Arbitrariness Doctrine- मनमाना सरकारी कार्य Article 14 का उल्लंघन है।

Article 15 के विभिन्न उपबंध / Different Clauses of Article 15

Article 15(1)

✓ राज्य केवल ऊपर दिए गए आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा।

The State shall not discriminate only on these grounds.

धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान

Article 15(2)

✓ कोई नागरिक दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों आदि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

No citizen can be denied access to:

Shops

Hotels

Restaurants

Public places

Article 15 के विभिन्न उपबंध / Different Clauses of Article 15

Article 15(3)

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

Special Provisions for Women and Children

राज्य महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष कानून बना सकता है।

The State can make special provisions for women and children.

उदाहरण:

Maternity benefits

Free education schemes for girls

Article 15(4)

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान

Special Provisions for Socially and Educationally Backward Classes

यह प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया।

Added by the First Constitutional Amendment Act, 1951.

इसके अंतर्गत: SC, ST, OBC

के लिए विशेष सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

भारतीय

Article 15(5)**शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण****Reservation in Educational Institutions**

93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया।

Added by 93rd Constitutional Amendment Act, 2005.

राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों (Minority institutions छोड़कर) में भी आरक्षण दे सकता है।

Article 15(6)**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण****Reservation for Economically Weaker Sections**

103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया।

Added by 103rd Constitutional Amendment Act, 2019.

EWS को 10% आरक्षण

शिक्षा एवं नौकरियों में

2. Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) – Articles 19 to 22

Article 19 – 6 Fundamental Freedoms (छह मूल स्वतंत्रताएँ):

- 19.1 - a **Speech & Expression** (विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)
- 19.1 - b **Assembly** (शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता)
- 19.1 - c **Association** (संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता)
- 19.1 - d **Movement** (देश के भीतर कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता)
- 19.1 - e **Residence** (कहीं भी बसने की स्वतंत्रता)
- 19.1 - f **Profession** (कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता)

देश की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की आजादी

Article 20 – Protection in respect of conviction for offences (अपराधों के संबंध में सुरक्षा)।

Article 21 – Protection of life & personal liberty (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।

Article 21A – Right to Education (6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार)।

Article 22 – Protection in case of arrest & detention (गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अधिकार)।

THANK YOU



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth
www.airgurukul.com

Follow Us |       

Powered by **Prince Edutech Private Limited**